दिनांक: 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.अफजल पुत्र सईद 2.जावेद पुत्र साजिद निवासी गण ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 3.फैजान पुत्र लालू निवासी ग्राम शाहपुर गाडा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 4.साबिर पुत्र आमिर निवासी ग्राम कोठडी थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को घर से उठा ले जाकर खाली पडे मकान में जबरदस्ती से बारी बारी से बलात्कार करने के संबंध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 78/24 धारा 363/376डी भादवि व 5जी/6 पोस्को पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की शीध्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **1.अफजल पुत्र सईद 2.जावेद पुत्र साजिद निवासी गण ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को कासमपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.अफजल पुत्र सईद निवासी ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2.जावेद पुत्र साजिद निवासी ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 यशपाल सिंह सोम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2.है0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3.है0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी का 01 शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अंगुठी पीली धातु, 5000/- रुपये नकद व 01 नाजायज छूरी बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.01.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री आशू पुत्र मनवीर सिंह निवासी ग्राम मौ0 अभिषेक नगर कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार मु0अ0सं0 09/24 धारा 381 भादवि बनाम सूरज पुत्र बबलू निवासी गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादी के घर से सोने की चीज वजन 55 ग्राम चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण हेतु दिशा निर्देश दिए गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.05.2024 को अभियुक्त **सूरज पुत्र बबलू निवासी गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को नकुड़ रोड पर फ्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अंगुठी पीली धातु व 5000 हजार रुपये चोरी के व एक छूरी नाजायज बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मै आशू के यहां पानी के कैम्पर स्पलाई का काम करता था तथा आशू के यहा काम करते करते उसके घर के अन्दर तक आना जाना था। मैने दिसम्बर 2023 में आशू को अपने घर की अलमारी मे सोने की कुछ चीजे रखते हुए देख लिया था। अलमारी में सामान रखने के एक दो दिन बाद ही मैने अलमारी से सामान निकाल लिया था। और उसके बाद उसे बेच कर मिले पैसे खर्च कर लिये थे। जिसमें से ये 5000/-रुपये ही बचे है। और यह अँगूठी भी उसी सामान की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सूरज पुत्र बबलू निवासी गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 2200 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री नेत्रपाल पुत्र शौराज निवासी ग्राम जयरापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार मु0अ0सं0 75/24 धारा 306/323/506 भादवि बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र सचिन के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना जिससे प्रताडित होकर वादी के पुत्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण **01.हर्ष पुत्र बबित कुमार निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर 02.अभय पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को पिलखनी राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम व हमारा साथी अनुज पुत्र केहर सिंह ग्राम सौराना के रहने वाले है किसी मामले मे हमारी दिनांक 23.03.2024 को सचिन के साथ कहासुनी हो गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. हर्ष पुत्र बबित कुमार निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. अभय पुत्र रोशन लाल निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 96 विक्रान्त कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. होगा0 1868 सागर राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 51 पव्वे रसीला माल्टा हरियाणा मार्का देशी व 18 फ्रूटी पाउच महबूबा देशी शराब यू0पी0 मार्का शराब नाजायज बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं **अवैध शराव तस्करी करने वाले अपराधियों** की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आत्मा राम निवासी लालता प्रसाद की मण्डी मस्जिद वाली गली खलासी लाईन थाना सदर बाजार सहारनपुर** को छोटी लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 51 पव्वे रसीला माल्टा हरियाण मार्का देशी व 18 फ्रूटी पाउच महबूबा देशी शराब यू0पी0 मार्का शराब बरामद की गई , बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 256/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै हरियाणा राज्य से शराब लेकर आता हूँ ।और आसपास के क्षेत्र में अधिक दामो में बेचकर अधिक मुनाफा कमा लेता हूँ। आज इन पाउच को अपने घर से लेकर बेचने के लिए चुपके से जा रहा था तभी अचानक पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आत्मा राम निवासी लालता प्रसाद की मण्डी मस्जिद वाली गली खलासी लाईन थाना सदर बाजार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 256/024 धारा 60/63 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 169/024 धारा 60(1) आबकारी अधि0थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 217/024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 51 पव्वे रसीला माल्टा हरियाणा मार्का नाजायज देशी शराब।
- 18 अदद फ्रूटी पाउच देशी शराब यू0पी0 मार्का नाजायज देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. म0उ0नि0 स्वेता शर्मा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2212 राजवीर राणा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. है0का0 660 कपिल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

दिनांक: 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व वांछित / वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.05.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **संजय पुत्र रूहला निवासी ग्राम रंधेडी थाना गंगोह सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0- 335/06 धारा 39/40 विधुत अधिनियम माननीय न्यायालय अपर एवं जिला सैशन जज कोर्ट न0 04 न्यायालय सहारनपुर को रंधेडी अड्डे गंगोह सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पताः-

संजय पुत्र रूहला नि0 ग्राम रंधेडी थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र पाल तोमर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांकः 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे,अपराध की रोकथाम एव वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 06.05.2024 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मुसर्रफ पुत्र नानू निवासी धर्मपुर सरावगी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1154/23 व मु0अ0सं0 20/20 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम न्यायालय श्रीमान जे0एम देवबन्द महोदय तारीख पेशी 08.05.2024 को बस अडडा कस्बा नागल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुसर्रफ पुत्र नानू निवासी धर्मपुर सरावगी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. का0 2043 सद्दाम थाना नांगल जिला सहारनपुर ।

दिनांकः 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 मनचला अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस एन्टीरोमियो टीम द्वारा आज दिनांक 06.05.2024 को मनचला अभियुक्त **मोनू पुत्र स्वः इन्द्र निवासी ग्राम भटपुरा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को स्कूल मे आने- जाने वाली लडकियों पर अश्लील फब्तियां कसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 77/24 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.मोनू पुत्र स्वः इन्द्र निवासी ग्राम भटपुरा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. म0उ0नि0 सविता त्यागी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. रि0म0उ0नि0 अरसिया कुरैशी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. म0का0 1114 रीना थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
4. सीसी 1301 अशोक थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
5. पीआरडी त्रिपाल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांक 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वारंटी अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने के दिये गये आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण मे व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06/05/24 को वांरटी अभियुक्तगण 1. नवी अहमद उर्फ नब्बू पुत्र मौ0 उमर निवासी भवा सराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2. खुर्शीद पुत्र लतीफ अहमद निवासी म0न0 6/410 शरबतिया पीर थाना को0नगर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 3411/23 , मु0अ0सं0— 22/20 धारा 147/323/427 भादवि व 2/3 लोक सम्पत्ति अधि0 चालानी थाना को0नगर स0पुर नियत तिथि 10.05.24 को उनके घरो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

1. नवी अहमद उर्फ नब्बू पुत्र मौ0 उमर निवासी भवा सराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

2. खुर्शीद पुत्र लतीफ अहमद निवासी म0न0 6/410 शरबतिया पीर थाना को0नगर सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामकिशन सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. का0 1342 कपिल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त को मात्र 05 घण्टे में किया गिरफ्तार, व अपर्हता सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि थाना बिहारीगढ पर दिनांक 05.05.2024 को वादी द्वारा थाना बिहारीगढ़ उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 79/24 धारा 363 भादवि बनाम साहिल पुत्र सहीद निवासी ग्राम अमानतगढ थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड के विरुद्ध पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा घटना का तत्काल संज्ञात लेते हुये अपर्हता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपर्हता को मात्र 05 घंटे मे ही सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त **साहिल पुत्र सहीद निवासी ग्राम अमानतगढ थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को सहारनपुर देहरादून हाईवे पर शेरपुर अडडे से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र सहीद निवासी ग्राम अमानतगढ थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. म0है0का0 62 हिमानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 03.05.24 को वादी रितिक पुत्र खेमसिंह निवासी हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि 3(2)(5) एससीएसटीएक्ट बनाम 1. अकुर कश्यप पुत्र प्रमोद कश्यप 2. प्रवेश उर्फ गुड्डू पुत्र सुरेश 3.रोहित उर्फ लैफ्टी पुत्र बबीत कुमार 4.अजय उर्फ अज्जू पुत्र प्रमोद समस्त नि0 गण टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार सहारनपुर 5. विनय कुमार पुत्र ओमपाल 6.विशाल पुत्र शिवकुमार नि0 7.अंकुर पुत्र ओमपाल अभिषेक उर्फ बकरा पुत्र राजकुमार 8. अभिषेक उर्फ बकरा नि0 जगदम्बा कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पंजीकृत कराया। दि0 04.05.2024 को मुकदमा उपरोक्त मे घायल उपरोक्त भानुप्रताप की इलाज के दौरान पीजीआई चण्डीगढ मे मृत्यू हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त मे धारा 302 भादवि की वृद्दी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.05.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वांछित **अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू पुत्र प्रमोद निवासी टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार सहारनपुर** को वृन्दावन गार्डन के सामने से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के पास से घटना मे प्रयुक्त स्कूटी नं-0 UP 11CJ 4768 बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू ने बताया कि बताया कि मै, प्रवेश व अभिषेक कुमार, रोहित उर्फ लैफ्टी ,अंकुर कश्यप, विनय, विशाल व अंकुर आपस में अच्छे दोस्त है। कुछ दिन पहले होली पर अंकुर कश्यप व विशाल का रितिक से झगड़ा हो गया था उसी का बदला लेने के लिये दिनांक 03.05.2024 की रात को मेरे दोस्त अंकुर कश्यप व विशाल नें हम सभी को फोन करके बुलाया था और कहा था कि आज रितिक को सबक सिखायेंगे। जिस पर मैं प्रवेश व अभिषेक कुमार, अंकुर कश्यप, विनय, रोहित उर्फ लैफ्टी, विशाल व अंकुर सभी लोग एक राय होकर रितिक के घर गये थे जहाँ उसके घर का गेट बन्द था। हम सभी लोगो नें गेट पर खड़े होकर रितिक को गलिया दी थी और उसके गेट पर लात मारी थी फिर हम लोग विनय विहार की ओर आ रहे थे तो पीछे से रितिक व उसके दोस्त व परिवारजन हमारे पीछे आ गये थे और इस पर मेरे दोस्त रोहित उर्फ लैफ्टी तथा प्रवेश, अंकुर कश्यप ने अपने हाथो में लिये डंडे मैने , विनय, अभिषेक उर्फ बकरा, विशाल व अंकुर नें लात धूसो से रितिक व उसके दोस्त भानू प्रताप व परिवारीजन को मारा था। उनमे से भानू जिसके सिर पर डन्डे से चोट आने के कारण वो वही जमीन पर गिर गया था। जो स्कूटी न0 यू0पी0 11 सी0जे0 4768 मुझसे बरामद हुई है इसी स्कूटी से मै घटना वाले दिन अंकुर कश्यप को लेकर रितिक के घर गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अजय उर्फ अज्जू पुत्र प्रमोद निवासी टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

01 स्कूटी नं-0 UP 11CJ 4768 घटना मे प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री .संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री राजीव गौर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।

3. का0 178 मयंक थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।

दिनांक 06.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.07.2018 को वादिया श्रीमती रहमत उर्फ फातमा नि0 मौ0 टांकान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को अभियुक्तगणों 1-आशु उर्फ आस मौहम्मद पुत्र रियासत 2-शौकत पुत्र रियासत 3-मसूद पुत्र रियासत नि0गण ग्राम बुन्दूगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर के द्वारा वादिया से अतिरिक्त दहेज में 20 हजार रू0 लाने की मांग करना न लाने पर प्रताडित करना गाली गलौच करना और वादिया के ऊपर तेल डालकर जान से मारने की नियत से आग लगा देने की सूचना पर मु0अ0सं0 195/2018 धारा 498ए,307,34 304बी भादवि व 4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम थाना नानौता पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 767/2018 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18.04.2024 को अभियुक्त **आशु उर्फ आस मौहम्मद को पर मु0अ0सं0 195/2018 धारा 498ए,307,34 304बी भादवि व 4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 12 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट-अभियुक्त शौकत व मसूद दोषमुक्त

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल

विवेचक क्षेत्राधिकारी रिटा0 राजेन्द्र कुमार सिंह

पैरोकार हे0का0 364 संजयपाल थाना नानौता सहारनपुर।